मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय ब्लाक नं.–7, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर– 482008 (म.प्र.)

CIN: U40109MP2002SGC015120 Phone: 0761-2660079, Website: mpez.co.in

---

क्रमांक प्रसं/पू.क्षे./मु.महा.(मा.सं एवं प्र./ला.परि.(नियु)–बैच–18/प्र.सू.1/4109 जबलपुर, दिनांक 03.07.18

प्रति,

Selected Candidates
(As Per List)

Application No. : As per list
Category : As per list
Selected Category : As per list

विषयः **लाईन परिचारक (नियमित)–(बैच–2018) पद पर नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु सूचना – प्रथम प्रतीक्षा सूची।**

प्रिय श्री ————,

आपको सूचित किया जाता है कि म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में लाईन परिचारक (नियमित) के पदों पर चयन के संबंध में एम.पी. आनलाईन के माध्यम से आयोजित आनलाईन परीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर अर्जित अंक एवं पात्रतानुसार कार्यानुभव के सापेक्ष बोनस अंकों के आधार पर तैयार संयुक्त वरीयता (मैरिट) सूची में आपका नाम **अनारक्षित/अपिवर्ग/अनु.जाति/अनु.जनजाति** वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित है।

कृपया ध्यान दें, आनलाईन आवेदन में आपके द्वारा अंकित विवरण का मूल अभिलेखों से मिलान करने पर विज्ञापन में वर्णित अन्य अर्हताएं निर्धारित सेवाशर्तों के अंतर्गत उपयुक्त एवं सही पाये जाने पर ही आपको शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए पात्र समझा जावेगा।

चयन प्रकिया के अंतर्गत आनलाईन आवेदन में आपके द्वारा अंकित विवरण का मूल अभिलेखों से मिलान एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु दिनांक **13–07–2018** को **प्रातः 10:30 बजे कार्यालय उप महाप्रबंधक (प्रशिक्षण), केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था, ब्लाक नं. एस.पी.–2, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, नयागॉव, जबलपुर** में उपस्थित होना अनिवार्य है। **अभिलेखों के सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर निम्न लिखित अभिलेखों की मूल प्रतियॉ एवं एक सेट प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ उपस्थित होवें** :–

1	छायाचित्र युक्त परिचय पत्र (इनमें से कोई एक – डायविंग लायसेंस, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैक पास बुक इत्यादि)
2	स्थायी निवास पता संबंधित प्रमाण (इनमें से कोई एक – आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पास पोर्ट, बैक पास बुक इत्यादि)
3	म.प्र. का मूल निवासी प्रमाणपत्र
4	कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण अंकसूची
5	आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण (इलेक्ट्रीकल, वायरमेन, लाईनमेन ट्रेड से) अंकसूची एवं प्रमाण पत्र – दो वर्षीय पाठ्यकम
6	एम.पी. आनलाईन द्वारा आयोजित आनलाईन परीक्षा का स्कोर कार्ड की छाया प्रति
7	स्वयं के नवीनतम 5 नग पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ
8	**यदि लागू हो तो (आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जावें :–)**
9	9.1 जाति प्रमाण पत्र (संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी) 9.2 राज्य की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी कंपनी में अनुबंध के आधार पर मीटरवाचक अथवा 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र आपरेटर का कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र (कार्यपालन अभियंता अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी) 9.3 अस्थि बाधित निःशक्तजन अभ्यर्थी शासकीय संस्थान से जारी निःशक्ता (न्यूनतम40 प्रतिशत) चिकित्सा प्रमाणपत्र 9.4 वर्तमान में किसी संस्था/कार्यालय में कार्यरत होने पर संबंधित संस्था/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र

चयन प्रकिया के अंतर्गत यह सूचना पत्र आपकी पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। अतएव अभिलेखों के सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु उपस्थित होने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि आप म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. द्वारा लाईन परिचारक (नियमित) के लिए जारी विस्तृत विज्ञापन कमांक प्रसं/पू.क्षे./मु.महा.(मा.सं एवं प्र./ला.परि.(नियु)–17/5245 दिनांक 25.7.2017 में अंकित पात्रता संबंधी समस्त मापदण्ड पूर्ण करते हैं। आनलाईन आवेदन में अंकित विवरण से प्रमाणपत्रों के मिलान पर यदि आपके द्वारा कोई गलत अथवा कूटरचित जानकारी प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है, तो आपकी उम्मीदवारी निरस्त करते हुए चयन प्रकिया हेतु विचार में नहीं लिया जावेगा।

यह पत्र मात्र सूचना पत्र है, नियुक्ति प्रस्ताव नहीं है। अभिलेखों के सही मिलान एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर कंपनी आवश्यकतानुसार लाईन परिचारक (नियमित) के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु पृथक से नियुक्ति प्रस्ताव पत्र जारी करेगी। कंपनी यह अधिकारी सुरक्षित रखती है कि आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का सत्यापन जारीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी से कराये जाने पर, अभिलेख कूटरचित/दोषपूर्ण पाये जाने की स्थिति में बिना किसी सूचना के आपकी उम्मीदवारी/चयन निरस्त कर सकेगी।

मुख्य महा प्रबंधक (मा.संसा. एवं प्रशा.)